न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 186/2019

वादीगण –

1. रूघाराम पुत्र रामूराम
2. राजेन्द्र पुत्र रूघाराम
   जातियान–जाट निवासीगण – बोसेरी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामुराम पुत्र कानाराम जाति–जाट निवासी–बोसेरी तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 10.02.2021**

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 51/1 रकबा 99.05 बीघा के रूप में मौजा बोसेरी तहसील जायल मे स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा स्कीम पैरा संख्या 2 (क, ख, ग) माफिक नजरी नक्शानुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है

10/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबालिया जबाव व प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह कल्याणसिंह का शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम बोसेरी तहसील जायल संवत् 2073—76 खाता संख्या 288/224 खसरा नं. 51/1 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2032—2035 खताा संख्या 11 प्रदर्श—2 कराई, वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सम्पूर्ण रामुराम पुत्र कानाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है तथा वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है। खसरा नं. 51/1 की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 रामुराम के नाम दर्ज है। वादीगण पुश्तैनी/पैतृक भूमि में दादा/पिता के जीवीत रहते कुछ हिस्सा अपने कब्जे काश्त अनुसार घोषित करवाने के अधिकारी है। इकबालिया जवाब में प्रतिवादी रामुराम ने दावा होने के बाद इस बात को स्वीकारा है तथा अपनी सहमति व्यक्त की है। तथा मुतदाविया खेताय की भूमि का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वादीगण को प्रतिवादी के साथ खातेदार घोषित कर प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है तथा वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है। खसरा नं. 51/1 की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 रामुराम के नाम दर्ज है। वादीगण पुश्तैनी/पैतृक भूमि में दादा/पिता के जीवीत रहते कुछ हिस्सा अपने कब्जे काश्त अनुसार घोषित करवाने के अधिकारी है। इकबालिया जवाब में प्रतिवादी रामुराम ने दावा होने के बाद इस बात को स्वीकारा है तथा अपनी सहमति व्यक्त की है। पुश्तैनी/पैतृक सम्पति में पुत्र/पौत्र, दादा/पिता का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखते हुये सहखातेदार के रूप में संयोजित भी हो सकते है तथा अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा भी करवा सकते है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति व्यक्त जाने पर वादी के वाद पत्र को आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना तथा तहसीलदार जायल से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 20.10.2020 को पारित किये गये।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 20.10.2020 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 262 दिनांक 15.01.2021 प्राप्त हुआ जो दिनांक 10.02.2021 को पत्रावली में सामिल की गई। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर पक्षकारान के वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद बाबत तहरीर जारी किये जाने का निवेदन किया।

हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, मौके पर तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव में वादी संख्या 1 व 2 स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थित का अंकन है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अंकित किये है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। अतः वादीगण का वाद को माफिक बंटवारा प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 186 / 2019
रूघाराम बनाम रामूराम वगैरह

— : : **आदेश** : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 53 ,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक 262 दिनांक 15.01.2021 के प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव (पीडी रिपोर्ट) के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है :–

1. वादी रूघाराम के हक बंट, खातेदारी में ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 5.3418 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी राजूराम के हक बंट, खातेदारी में ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 3.8850 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी व 1.2950 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी रामुराम के हक बंट, खातेदारी में ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 5.3418 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 0.2024 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार रास्ता हेतु घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री रिर्पाट दिनांक 15.01.2021 आदेश का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

10/04/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर, व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 186/2019

वादीगण

1. रूघाराम पुत्र रामूराम
2. राजेन्द्र पुत्र रूघाराम जातियान–जाट निवासीगण–बोसेरी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामुराम पुत्र कानाराम जाति–जाट निवासी–बोसेरी तहसील–जायल (नागौर)
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम–1955

उपस्थिति –

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी रूघाराम के हक बंट, खातेदारी में ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 5.3418 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार घोषित किया जाता है।
2. वादी राजूराम के हक बंट, खातेदारी में ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 3.8850 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी व 1.2950 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी रामुराम के हक बंट, खातेदारी में ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 5.3418 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार घोषित किया जाता है।

10/02/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

4. ग्राम बोसेरी तहसील जायल के खसरा नं. 51/1 में से 0.2024 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पीडी प्रस्तानुसार रास्ता हेतु घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री रिर्पाट दिनांक 15.01.2021 आदेश का भाग रहेगा।

10/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10/02/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

10/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)